परिशिष्ट–"क"

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

परिपत्र

परिपत्र संख्या(सं॰स॰.15 / नि॰(विविध) जनआवेदन–04 / 16...../ राँची, दिनांक.....

विषय :– **प्रतिरूपण या गलत दस्तावेज एवं साक्ष्य द्वारा कपटपूर्वक निबंधन से संबंधित परिवाद के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।**

प्रतिरूपण (Impersonation) या गलत दस्तावेज, तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर कपटपूर्ण दस्तावेजों का निबंधन कराने की सूचना प्राप्त होती रहती है। परन्तु विभागीय पदाधिकारी के संज्ञान में यह मामला प्रस्तुत होने पर उन्हें सक्षम न्यायालय या सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी जाती है, यह सुझाव शिकायत कर्त्ता के लिए दुहरे खतरे के समान (Double Jeopardy) है। जबकि निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा–83 के अधीन निबंधन पदाधिकारियों को कपटपूर्वक निबंधन प्रतिरूपण (Impersonation) एवं जाली / गलत कागजात एवं साक्ष्य के आधार पर निबंधन करवाने वालों के विरूद्ध अभियोग (Persecution) दायर करने की शक्ति प्राप्त है। इस तरह ऐसा परिवाद प्रस्तुत होने पर प्राथमिकी दर्ज करना निबंधन पदाधिकारी का कर्त्तव्य है। परन्तु इस तरह के परिवाद प्रस्तुत होने पर अवर निबंधकों द्वारा कोई जाँच (Enquiry) नहीं की जा रही है और न ही कोई कार्यवाही (Action) की जा रही है। इसी प्रकार निबंधन अधिनियम की धारा–82 के अंतर्गत ठोस कदम उठाने का आधार एवं दंड का प्रावधान अंकित है। निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा–82 एवं 83 का मुख्य उद्देश्य प्रतिरूपण (Impersonation) एवं गलत कागजात / साक्ष्य प्रस्तुत कर निबंधन करवाने वालों को दंडित करने का है। फिर भी कपट (Fraud) रोकने के लिए मात्र दंडात्मक कार्रवाई करना, निबंधन अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए व्यथित (Aggrieved) पक्षकार को सहायता देने तथा संभावित कपट एवं भविष्य में होने वाली घोखेबाजी को रोकने के लिए आवश्यक निवारक (Curative) कदम उठाने की आवश्यकता है। उपरोक्त के आलोक में प्रतिरूपण (Impersonation) या फर्जी / जाली कागजात एवं साक्ष्य के आधार पर कपटपूर्ण निबंधन के विरूद्ध परिवाद के निस्तार हेतु निम्नांकित कार्यविधि निर्धारित की जाती है :–

(क) कपटपूर्ण निबंधन से संबंधित परिवाद विभाग में प्राप्त होने पर संबंधित जिला निबंधक को प्रेषित किए जाएगें। जिला निबंधक प्राप्त परिवाद को निम्नांकित प्रपत्र में एक रजिस्टर में अंकित करेंगे। यदि परिवाद जिला निबंधक / उपायुक्त के कार्यालय में प्राप्त हो तो उन्हें भी उसी रजिस्टर में अंकित किया जाएगा :–

क्र॰संख्या	तिथि	आवेदक का नाम एवं पता	दस्तावेज संख्या तथा निबंधन कार्यालय का नाम	दस्तावेज में निष्पादक / दावेदार तथा गवाहों का नाम एवं पता
1	2	3	4	5

(ख) परिवाद के रजिस्टर में अंकित हो जाने के बाद जिला निबंधक दस्तावेज के निष्पादक एवं गवाह/पहचान कर्त्ता के साथ–साथ शिकायत कर्त्ता को जाँच हेतु नोटिस जारी करेंगे। आवश्यक होने पर निबंधन पदाधिकारी का साक्ष्य भी प्राप्त करेंगे तथा राजस्व पदाधिकारी/कर्मचारी को भूमि से संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होने का निर्देश देंगे।

(ग) संक्षिप्त जाँच प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात यदि यह पुष्टि हो जाती है कि निबंधन प्रतिरूपण (Impersonation) द्वारा या गलत कागजात और वक्तव्य/स्वीकृति के आधार पर हुआ है तो वो अपने निष्कर्ष के आधार पर आदेश परित करेंगे तथा संबंधित निबंधन पदाधिकारी को संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के साथ–साथ ही कपटपूर्ण दस्तावेज से संबंधित अनुक्रमणी–II में निम्नांकित टिप्पणी (जिला निबंधक की कार्यवाही संख्या Proceeding No... अंकित किया जायेगा) के अधीन इस दस्तावेज का निबंधन रद्द(Annul) किया जाता है तथा इसका वही प्रभाव होगा जो कि निबंधन अधिनियम की धारा–49 के अंतर्गत अनिबंधित दस्तावेजों के संदर्भ में होता है का निदेश देंगे।

(घ) जिला निबंधक का आदेश प्राप्त होने पर निबंधन पदाधिकारी तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करेंगे तथा उपरोक्त कंडिका में दर्ज निर्देश के आलोक में अनुक्रमणी–II में संबंधित सूचना दर्ज करेंगे तथा जिला निबंधक के ऐसे सभी आदेशों को एक अलग रजिस्टर में निम्नांकित प्रपत्र में दर्ज करेंगे :–

क्र॰संख्या	जिला निबंधक से प्राप्त आदेश की तिथि	कार्यवाही संख्या (Proceeding No)	जिस दस्तावेज का निबंधन रद्द किया जाना है उस दस्तावेज की संख्या	प्राथमिकी दर्ज कराने की तिथि	अनुक्रमणी–II में दर्ज किए जाने की तिथि	निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

(ड़) जिला निबंधक अधिकतम तीन माह में जाँच पूरी कर लेंगे। यदि पक्षकार सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हो तो दो सम्मन के बाद एक पक्षीय (ex-Parte) सुनवाई कर उपलब्ध कागजातों/साक्ष्यों एवं गवाह के आधार पर उचित आदेश परित करेंगे। परन्तु ये अनुदेश उन परिवादों पर लागू नहीं होगें जहाँ परिवादी ने स्वयं दस्तावेजों का, चाहे जिस कारण से भी हो, निबंधन पदाधिकारी के समक्ष निष्पादन स्वीकार कर लिया हो। उपरोक्त सभी प्रक्रियाएँ उन्हीं मामलों में लागू होगी जिन मामलों में कपटपूर्ण निबंधन किया गया हो। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी दशा में निबंधन पदाधिकारी परस्पर विरोधी दावों के आधार पर पक्षकारों के स्वामित्व (Title) का निर्धारण नहीं करेगें क्योंकि स्वामित्व का निर्धारण व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

21/09/16

प्रतिरूपण (Impersonation) एवं गलत कागजात/तथ्यों के आधार पर कपटपूर्ण निबंधन का परिवाद (Complaint) प्राप्त होने पर जाँच करने, प्राथमिकी दर्ज करने तथा अनुक्रमणी–II में रद्दगी का आदेश अंकित करने में असफल रहने को गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा तथा संबंधित जिला निबंधक/जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

जिला निबंधक के आदेश से व्यथित (Aggrieved) पक्षकार निबंधन महानिरीक्षक के समक्ष अपील कर सकते है।

ह0/–
(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांकः– परिपत्र संख्या(सं॰स॰.15/नि॰(विविध) जनआवेदन–04/16...../ राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागध्यक्ष, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांकः– परिपत्र संख्या(सं॰स॰.15/नि॰(विविध) जनआवेदन–04/16...../ राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, झारखण्ड, रांची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांकः– परिपत्र संख्या(सं॰स॰.15/नि॰(विविध) जनआवेदन–04/16.930./ राँची, दिनांक 21.09.16

प्रतिलिपि–सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी अपर समाहर्त्ता, झारखण्ड/सभी निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, झारखण्ड/सभी जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/09/16
सरकार के सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रांची।